रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 485] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1983/कार्तिक 10, 1905
No. 485] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1983/KARTIKA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1983

का. आ. 786(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खंड (4) के अनुसरण में और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 803(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1982 का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित को :

(क) डा.के.सी.गुहा,
मुख्य तकनीकी अधिकारी,

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता
को उक्त प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में; और

(ख) श्री ए.के. धर,
मुख्य तकनीकी अधिकारी,

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला कलकत्ता को निदेशक की अनुपस्थित के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन उसके सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है ।

[सं. पी. 15014/17/82--पी एच(एफ एण्ड एन)पी एफ ए]

एल.वी. सुब्रामणियम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1983

S.O. 786(E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Deparament of Health) No. S.O. 803(E), dated the 13th November, 1982, the Central Government hereby appoints,—

(a) Dr. K. C. Guha, Chief Technical Officer, Central Food Laboratory, Calcutta, as the Director of the said Laboratory ; and

(b) Shri A. K. Dhar, Chief Technical Officer, Central Food Laboratory, Calcutta, to perform, during the absence of the Director, all or any of his functions under the said Act.

[No. P-15014/17/82-PH (F&N) PFA]

S. V. SUBRAMANIUM, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983